संदेह परीक्षण न्यायाधीश संहिता की धारा 89 के संदर्भ में पता लगा सकता है।यह है कहा गया है कि: पति न्याय और आप शांति प्राप्त करेंगे।

(12) याचिका विफल हो गई है और प्रारंभ में ही खारिज करने का आदेश दिया जाता है।

(13) सभी प्राकृतिक परिणाम लागू होंगे।

(14) इस आदेश की एक प्रति ट्रायल जज को हार्ड कॉपी में और ई-मेल द्वारा उसके अभिलेख के लिए और भविष्य में प्रोत्साहन के लिए भेजी जाए।

पीएस बाजवा

न्यायमूर्ति रमेश्वर सिंह मलिक के समक्ष

ज्ञान प्रकाश वि अन्य — अपीलार्थी

बनाम

भाटी देवी व अन्य — उत्तरदाताओं

2007 का आरएसए नंबर **125**

30 जनवरी 2014

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ***1963*** **-** धारा ***34*** **-** कब्जे के लिए घोषणा -ढोलीदार भूमि **-** मालिक ने वाद भूमि को ढोलीदार द्वारा दी गई सेवायों के एवज में ढोली भूमि बनाया **-** वादी के पूर्वज और प्रतिवादी के पिता को कब्जा दिया गया- यह आरोप लगाया गया था कि वादी के पूर्वजों की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी के पिता द्वारा केवल अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में शामिल करवाया गया **-** कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया गया था -अभिनिर्धारित किया, ढोलदार केवल एक लाइसेंसधारी है **-** वादी अथवा प्रतिवादिगण द्वारा ढोली के रूप में कार्य और कर्तव्य नहीं किए गए **-** इस प्रकार, उनका वाद संपति में कोई अधिकार नहीं रहा- उनके पास सुनवाई का अधिकार नहीं था- आगे, मुकदमा दायर करने से पूर्व, प्रतिवादिगण ने कई बार निर्माण किया था, लेकिन कभी भी उसे चुनौती नहीं दी गई **-** इसके अतिरिक्त, प्रतिवादिगण के पिता वाद भूमि के निरंतर, निर्बाध और भौतिक कब्जे में थे **-** वादी को वाद कारण उपलब्ध नहीं है **-** ***26*** वर्षों के लिए बिना कुछ किए, वादी ने मुक़दमा लड़ने का अपना अधिकार खो दिया था।

अभिनिर्धारित किया कि ढोलीदार केवल एक लाइसेंसधारी है और ढोली में दी गई संपत्ति का मालिक नहीं है। ढोली हमेशा ढोलीदार के पक्ष में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले सही मलिक द्वारा बनायी जाती है।
(पैरा 10)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि,एक बार ढोलीदार या उसका उत्तराधिकारी सही मलिक की ओर ढोलीदार के कार्य व कर्तव्यों को करना बंद कर देता है तो ढोली भूमि सही मलिक को वापिस हो जाएगी।(पैरा 11)

अभिनिर्धारित किया कि वादी और प्रो-फॉर्मा प्रतिवादीगण-उत्तरदाता सच्चे मालिक नहीं होने के नाते, प्रतिवादी संख्या 1 3-अपीलकर्ता के खिलाफ कब्जे के लिए वाद इस कारण से पोषणीय ही नहीं था
कि प्रतिवादिगण अवैध कब्जे में नहीं थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ढोली के कार्य एवं कर्तव्यों को वादी अथवा प्रो फॉर्मा प्रतिवादिगण द्वारा नहीं किया जा रहा था क्योंकि ना तो यह अभिकथित किया गया ना ही तर्क दिया गया, उनका वाद सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं बचा था।

ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3-अपीलकर्ता वादी सहित पूरी दुनिया के खिलाफ अपने कब्जे की रक्षा के लिए कानून में पूरी तरह से हकदार हैं , क्योंकि कोई भी सही मलिक के रूप में आगे नहीं आ रहा था। वास्तव में, वादी के पास Ex. DW9 / 1 और रपट नंबर 403 दिनांक 4.4.1974 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था।उपर्युक्त विचारानुसार, तीसरे क़ानून के मुख्य प्रश्न का उत्तर वादी के खिलाफ और प्रतिवादी 1 से 3-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।
(पैरा 14)

अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 मुक़दमा दायर करने से पहले ही वादग्रस्त प्लॉट पर निर्माण कर चुके थे और वह भी, एक से अधिक बार। यह रिकॉर्ड पर भी निर्विवाद हो गया है कि वादी और प्रो फॉर्मा प्रतिवादिगण के पिता स्वर्गीय श्री राम चंदर ने लेखन Ex DW9 / 1, rapat नंबर 403 दिनांक 4-4-1974 और प्रतिवादी संख्या 1 से 3-अपीलकर्ता के पक्ष में राजस्व प्रविष्टियां को जीवन काल में कभी चुनौती नहीं दी। प्रतिवादीगण-अपीलर्थीगण द्वारा निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य करने वाले राजमिस्ट्री सहित ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके निर्माण को विधिवत साबित किया गया था वास्तव में प्रतिवादी अपील कर्ताओं ने अभिलेख पर पर्याप्त ठोस और अच्छी तरह से आश्वस्त करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए लेकिन अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए सुविचारित निर्णय को उलटते हुए पूरी तरह से और अवैध रूप से इसकी अनदेखी की। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह और बिना किसी हिचकिचाहट के अभिनिर्धारित किया जाता है कि वादी की स्थिति किसी तीसरे पक्ष की स्थिति सेबेहतर नहीं थी। वास्तव में वादी के पास न तो कोई अधिकार था और न ही वर्तमान वाद दायर करने और बनाए रखने ke लिए उसके पास कार्रवाई का कोई कारण उपलब्ध था। वादी को भी उसके अपने कृत्य और आचरण के कारण वर्तमान मुक़दमा दायर करने से रोक दिया गया था क्योंकि निचली अपीलीय अदालत

मामले की उपरोक्त सभी भौतिक पहलुओं की अनदेखी करते हुए क़ानून की गंभीर त्रुटि करने पर विवादित निर्णय और डिक्री को क़ायम नहीं रखा जा सकता है सकता है।

(पैरा 15)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि*1976* मुक़दमा दायर करने तक की सुसंगत राजस्व प्रविष्टियां और भारी भरकम अभिलेख अपील अर्थियां के पक्ष में बहुत कुछबताते हैं।राजस्व रिकॉर्ड को पढ़ने से पता चलता है कि राम कुंवर प्रतिवादी अपीलार्थीगण के हित में वाद भूमि पर निरंतर,निर्बाध,भौतिक क़ब्ज़े में दिखाया गया है और वह भी, एक ग़ैर मौरूसी की क्षमता में, यानी किसी को भी किराया दिएबिना। इसके अलावा भले ही अधिकार की कोई झलक वादी के पक्ष में थी लेकिन उसने *26* लंबे वर्षों तक इस संबंध में कुछ भी नहीं करते हुए इसे माफ़ कर दिया। इस अवधि *ke* दौरान,अपालार्थी न केवल वाद भूमि के भौतिक कब्जे में रहे,बल्कि एक से अधिक अवसरों पर उस पर निर्माण भी किया है। चूँकि विद्वान अपीलीय न्यायाल्य ऊपर चर्चा किए गए मामले के किसी भी प्रासंगिक पहलू पर गहराई से विचार करने में विफल रहा है, इसलिए विवादित निर्णय और डिक्री को स्पष्ट रूप से अवैध दृष्टिकोण पर आधारित पाया गया है और इसे क़ायम नहीं रख जा सकता है।

(पैरा 16)

एस. एन. गौड़, अधिवक्ता, अपीलर्थीगण की

ओर से।

उत्तरदाताओं के लिए प्रितम सई, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति रामेश्वर सिंह मलिक।

(1) तत्काल अपील, प्रतिवादी संख्या 1से 3 तक, विद्वान अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा पारित दिनांक 6.12.2006 के प्रत्यावर्तन के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित किया गया है, जिसके द्वारा वादिगण को प्रथम अपील को विद्वान विचरण न्यायाल्य द्वारा घोषणा और अधिकार के वाद में पारित दिनांक 19.4.2004 के निर्णय व डिक्री को अपस्त करते हुए अनुज्ञात किया गया था।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि शुरू में मुकदमा दायर किया गया था वादी महाबीर सिंह ने आरोप लगाया कि वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 4 से 8, अर्थात् स्वर्गीय श्री राम चंदर के पास ढोलीदार के रूप में वाद भूमि 1K-4M का स्वामित्व था। ढोलदार श्री राम चंदर की मृत्यु के

बाद, साथ ही साथ वादी भी प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के साथ वाद भूमि का क़ानून के संचालन से मालिक बन गया।

राम कंवर, प्रतिवादी 1 से 3 के पिता, एक चतुर और प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते , राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत में विभाग ने अपना नाम वाद भूमि में गैर मौरूसी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में शामिल करवाया, जबकि वह कभी भी स्वर्गीय राम चंदर के अधीन गैर मौरूसी नहीं रहे। वाद में यह अभिकथित था की राजस्व रिकॉर्ड में अवैध प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सूट भूमि पर एक छप्पर और सीमा दीवार का निर्माण किया, वर्तमान सूट की संस्था से लगभग तीन साल पहले क्योंकि सूट भूमि खाली भूखंड के आकार में पड़ी थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 निर्माण को बढ़ाने के लिए, अतिक्रमी होते हुए सूट भूमि में बिना किसी अधिकार, साइट पर निर्माण सामग्री लाये जिससे वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया था। वाद के लम्बन के दौरान, महाबीर सिंह की मृत्यु हो गई और उनके एलआर को अभिलेख पर लाया गया।

(3) प्रतिवादिगण को नोटिस दिया गया। प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पेश हुए और वादी द्वारा किए गए अभिकथनों का विरोध करते हुए एक से अधिक प्रारंभिक आपत्तियां बाबत पोषणीयता, एस्टॉपल और लिमिटेशन लेते हुए अपना संयुक्त लिखित ब्यान दायर किया। यह विशेष रूप से अभिलिखित किया गया था कि वर्ष 1971से पहले, वादी के पिता राम चन्द्र के पास वाद भूमि का कब्जा था। तथापि, दिनांक 24.5.1971 को राम चन्द्र ने राम कंवर, प्रतिवादी संख्या 1-3 से पूर्व का हक़दार को एक लेखन निष्पादित कर रुपये 2900 में कब्जा दे दिया। राम कंवर वर्ष 1996 मई माह में अपनी मृत्यु तक कब्जा में रहा। इसके आगे अभिकथित किया वहाँ की प्रतिवादिगण संख्या 1 से 3 कि कब्जे पर लेने के बाद वर्ष 1971 में सूट भूमि में, राम कंवर ने दो छप्परों का निर्माण किया, कई पेड़ लगाए और कच्ची दीवार खड़ी की।इसके बाद, वर्ष में 1983 के अंत में श्री राम कंवर ने वाद भूमि पर पांच फीट की एक पक्की चार दीवारी खड़ी की। वर्ष 1985 में, उक्त दीवार बढ़ाकर 8-9 फीट तक कर दी गई। जनवरी 1992 में प्रतिवादियों ने सूट भूमि पर दो पुक्का कमरे, एक रसोई और एक टिन शेड का निर्माण किया। वर्तमान सूट दाखिल करने से तीन साल पहले निर्माण किए जाने से इनकार कर दिया गया था। वादी के पिता स्वर्गीय श्री राम चंदर ने अपने जीवन काल के दौरान राजस्व प्रविष्टियों को कभी चुनौती नहीं दी। सूट भूमि के विघटन के लिए प्रार्थना की।

(4) पार्टियों की दलीलों के पूरा होने पर सीखा निम्नलिखित विवादक् विरचित किए गए:

"1. क्या वादी का पिता वाद के पैरा नंबर 1 में उल्लिखित भूमि में ढोलीदार था? OPP

2. क्या 1971 के बाद से राजस्व अभिलेख में प्रतिवादिगण के नाम के इंद्राज शून्य व अवैध हैं और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं हैं? OPP

3. क्या वादी उपर्युक्तानुसार कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? OPP

4. क्या वादी का वाद मौजूदा स्थिति में पोषणीय नहीं है? OPD

5. क्या वादी अपने आचरण से एस्टॉप्ड हो गया? OPD

6. क्या वादी का वाद समय सीमा के भीतर है? OPD

7. राहत."

(5) दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए उनके संबंधित स्टैंड को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया। पार्टियों के लिए वकील की सुनवाई और रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों के परीक्षण से न्यायाल्य ने अभिनिर्धारित किया कि वादी अपने मामले को साबित करने में विफल रहा और मुकदमा निर्णय और डिक्री दिनांक 19.4.2004 से खारिज कर दिया गया। व्यथित महसूस करते हुए, वादी ने अपील दायर की, जिसे विवादित निर्णय और डिक्री दिनांक 6.12.2006 द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा स्वीकार किया गया। इसलिए यह अपील दायर की गई।

(6) अपीलार्थीगण के विद्वान आधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को ख़ारिज कर दिया, जबकि विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों के साथ साथ क़ानून की ग़लत व्याख्या करते हुए ख़ुद को ग़लत तरीक़ेसे निर्देशित किया, जिसके कारण आख़िरी निर्णय और बिक्री क़ानून में विश्वसनीय नहीं हैं। वे आगे प्रस्तुत किया कि वादी और प्रतिवादीगण के हित में पूर्ववर्ती ने 2900/- प्राप्त करने के बाद 24.5.1971 को अपीलार्थी के हित में स्वर्गीय श्री राम कंवर पूर्ववर्ती के पक्ष में अपने स्वामित्व अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया। स्वर्गीय श्री राम चंदर ने एक स्थानांतरण बिल एक Ex DW1/9 निष्पादितपादित किया।क्योंकि श्रीराम कमर को मुक़दमे की संपत्ति के क़ब्ज़े में रखा गया था,इसलिए रपट नंबर403 दिनांक 4.4.1974 को अभिलिखित किया गया,जिसके बाद अपीलार्थी के पक्ष में राजस्वप्रविष्टियां दर्ज की गई। यह भी तर्क दिया गया था कि भले ही प्रतिवादी गण को तर्क के लिए अवैध क़ब्ज़े में माना गया था,वादी

ने दिनांक 2451971 के स्थानांतरण बिल 1 की वैधता को चुनौती नहीं दी,की राम चन्द्र को केवल ढोलीदार होने के कारण स्थानांतरण का कोई अधिकार नहीं था। जब तक वे ऐसा नहीं करते, कब्ज़ा ke लिए उनका मुक़दमा भी बनाए रखने पोषणीय नहीं है।वह यह भी प्रस्तुत करता है कि क़ब्ज़े के लिए मुक़दमा दायर करने की सीमा 12 वर्ष थी, जबकि मूक़दमा 26 वर्षों के बाद दायर किया गया था जो निराशाजनक रूप से समय सीमा से वर्जित था । वह वर्तमान अपील को अनुमति देकर विवादित निर्णय और डिक्री को दरनिकर करने के लिए प्रार्थना करता है।

(7) इसके विपरीत,प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा कि उनके पूर्ववर्ती को बाद भूमि को अलग करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह केवल की डोली दारथा। अपने तर्क का समर्थन करनेके लिए, वे लक्ष्मी चंद बनाम बसंती और कैलाश (1) में इस न्यायालय के एक फ़ैसले पर निर्भर करता है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि उन्हें ढोली अधिकार विरासत में मिले हैं और धरम सिंह और अन्य बनाम श्रीमती फूलन देवी वि अन्य (2) मैं इस न्यायालय के फ़ैसले के मद्देनज़र घोषणा और क़ब्ज़े के लिए उनका मुक़दमा क़ायम था। उन्होने यह भी अभी कथित किया कि क्योंकि दिनांक24.5.1971 का अंतरण विलेख 2900 रुपये के लिए था,इसलिए संतोष जयसवाल बनाम एम.पी. राज्य (3) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इसके लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है वह अपील को ख़ारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

(8) काफी हद तक पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, मामले के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद और विचारशील देना प्रतिद्वंद्वी सामग्री पर विचार के बाद, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान मामले की दी गई तथ्य पारिस्थिति में, तत्काल अपील निम्नलिखित एक से अधिक कारणों से स्वीकार की जानी चाहिए।

(7) मामले की परिस्थितियों में, पर्याप्त निम्नलिखित इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए कानून के प्रश्न: -

---

(1) 2003 (1) आरसीआर (सिविल) 298

(2) 2005 (3) आरसीआर (सिविल) 832

(3) 1995 (6) एससीसी 520

1. क्या विद्वान निचला अपीलीय न्यायालय आप ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों को पूरी तरह से ग़लत तरीक़े सेपड़ा, ग़लत अर्थ लगाया और ग़लत व्याख्या की,जबकि विद्वान निचली अदालत द्वारा विवादक् संख्या 1 से 5 पर दर्ज ठोस निष्कर्षों को उलट दिया ?

2. क्या वादी साफ़ हाथों से नहीं आया और क्या उसका बाद वर्तमान रूप में पोषणीय नहीं है?

3. क्या इस तथ्य के बावजूद कि अब ढोलीदार के कोई कार्य या कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा था, वादी ढोली भूमि पर क़ब्ज़ा करने का हक़दार था?

(10) सबसे पहले, वादी महाबीर निवेदन करने और यह साबित करने में विफल रहा कि किसने अपने पिता स्वर्गीय श्री राम चंदर के पक्ष में ढोली बनायी और कब। उन्होंने सच्चे मालिक का नाम भी नहीं लिया, जिन्होंने ढोली को उसके पिता के पक्ष में बनाया । मूल रूप से ढोलीदार अर्थात् श्री राम चंदर की मृत्यु के बाद यह भी निवेदन नहीं किया गया था की वादी या प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 द्वारा धोलीदार के कार्यों और कर्तव्यों का पालन किया गया था। यह कहने की आवशायकता नहीं है कि धोलीदार केवल एक लाइसेंसधारी है और मालिक नहीं। ढोली हमेशा ढोलीदार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में सच्चे मालिक द्वारा उसके पक्ष में बनायी जाती है।

(11) एक बार ढोलीदार या उसका उत्तराधिकारी ढोलीदार के कार्य व कर्तव्य करना बंद कर देता है तो ढोली की भूमि ढोली बनाने वाले सही मलिक को वापिस कर दी जाती है।वादी ने दलील नहीं दी कि असली मालिक कौन था,जब ढोली बनायी गई थी,क्या ढोलीदार की मृत्यु के बाद,वह या उसके भाइयों में से कोई भी धोलीदार के कार्यों और कर्तव्यों का पालन कर रहा था। चूँकि यह सभी आवश्यक अभिवचन बाद में विशेष रूप से वास्तविक मालिक का नाम छिपाने में स्पष्ट रूप से ग़ायब थे,इसलिए वादी मुक़दमा विचारणीय नहीं था।पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए ,क़ानून के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर वादी के ख़िलाफ़ है और होनी चाहिए। यह लहने के बाद, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस मुद्दे संख्या 1 से 5 पर अपने ठोस निष्कर्षों को बहुत सही ढंग से वादी के ख़िलाफ़ और प्रतिवादिगण-अपीलर्थीगण के हक़ में नीनी दिनांकित 19.4.2004 दर्ज किया है को रिस्टोर करने लायक़ है।

(12)दूसरा, इस बात से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद के बाद भूमि के केवल स्वामित्व अधिकार उनके पिता द्वारा प्रतिवादियों की अपील लड़ने के हित में राम कमर के पक्ष में अंतरित किए गए थे और वह भी दिनांक 24.5.1971 को। Ex DW1/9, वादी ने इस हस्तांतरण विलेख की वैधता को चुनौती नहीं दी। इसके अलावा,वादी ने रपट संख्या 403 दिनकित 4.4.1974 को चुनौती नहीं दी। कोई कारण सामने नहीं आ रहा था।जब तक वादीइन दस्तावेजों की वैधता को चुनौती नहीं देता ,वह वर्तमान वाद को बनाए नहीं रख सकता था। उसी सादृश्य पर, यहां तक कि घोषणा की राहत कि राजस्व प्रविष्टियां गलत थीं, वादी के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगी, क्योंकि राजस्व प्रविष्टियां उपर्युक्त स्थानांतरण विलेख दिनांक 24.5.1971 पर आधारित थीं, जिसके बाद रपट नं. 403 दिनांक 4.4.1974 लिखी गई। चूंकि विद्वान अपीलीय अदालत पूरी तरह से गलत है, गलत तरीके से और मामले के सही तथ्यों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों, गलत निर्णय और डिक्री दिनांक को गलत तरीके से समझा गया इसलिए आक्षेपित निर्णय 6.12.2006 को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग करने के लिए उत्तरदायी हैं। उपरोक्त के अनुसार, कानून के पहले पर्याप्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है और उसी के अनुसार तय किया जाता है।

(12) इसमें कोई शक नहीं, ढोलीदर ढोली की संपत्ति को अलग करने के सक्षम नहीं है। हालांकि, निर्णय के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया लक्ष्मी चंद का मामला *(सुप्रा)* वह वर्तमान मामले पर लागू नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में कोई अलगाव नहीं था। वर्तमान मामले में राम चंदर ढोलदार ने केवल अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है जो अलगाव की नहीं है। तथापि, अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती राम कंवर के कब्जे को अवैध नहीं माना जा सकता था क्योंकि उसे कब्जे में रखा गया था एक व्यक्ति द्वारा जो ऐसा करने के लिए सक्षम था। इसी तरह, धर्म सिंह का मामला *(सुप्रा)* में निर्णय भू उत्तरदाताओं की तथ्यों में भेद करने में मदद नहीं करेगा। फिर से, संतोष जयसवाल का मामला *(सुप्रा)* वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में बिक्री शामिल नहीं थी।इसके अलावा, यह सुस्थापित सिद्धांत है किसी भी संहिताबद्ध या न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से पहले प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों की जांच, विचार और सराहना की जानी चाहिए। कभी-कभी, एक परिस्थिति या अतिरिक्त तथ्य का अंतर दुनिया में अंतर ला सकता है, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

पद्मसुंद्रा राव और एक अन्य वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य ***(4)*** में कहा गया है।

(14) जैसा कि यहां देखा गया है, वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी-उत्तरदाताओं के सच्चे मालिक नहीं होने के कारण, कब्जे के खिलाफ मुकदमा प्रतिवादी संख्या 1 से 3-अपीलकर्ता के लिए भी बनाए रखने योग्य नहीं था कारण है कि वे अवैध कब्जे में नहीं थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार ढोली के कार्य और कर्तव्य वादी या किसी भी प्रोफार्मा प्रतिवादी, अब और नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि यह न तो उनकी ओर से दलील दी गई थी और न ही तर्क दिया गया था, उन्हें सूट संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी।. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी 1 से 3-अपीलकर्ता वादी सहित पूरी तरह से पूरी दुनिया के खिलाफ अपने कब्जे की रक्षा के लिए कानून का हकदार थे, क्योंकि कोई भी वास्तविक मालिक के रूप में आगे नहीं आ रहा था। वास्तव में, वादी के पास सुनवाई का अधिकार नहीं था यहां तक कि पूर्व को चुनौती देने का भी नहीं। DW9 / 1 और रैपैट नंबर 403 दिनांक 4.4.1974. जो किया गया है उसे देखते हुए यहाँ चर्चा की गई, कानून के तीसरे पर्याप्त प्रश्न का उत्तर वादी के खिलाफ और प्रतिवादी 1 से 3-अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया।

(15) जाहिर है, प्रतिवादी 1 से 3 पहले ही उठ चुके थे निर्माण और वह भी पहले प्रश्न में भूखंड में एक से अधिक बार मुकदमा दायर करना। यह भी रिकॉर्ड पर निर्विवाद हो गया है कि स्वर्गीय श्री राम चंदर वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादियों के पिता ने लेखन DW9 / 1, rapat नंबर 403 दिनांक 4.4.1974 और भी प्रतिवादी संख्या 1 से 3-अपीलकर्ता के पक्ष में राजस्व प्रविष्टियां को जीवन काल में कभी चुनौती नहीं दी। निर्माण प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत साबित किया गया था निर्माण करने वाले राजमिस्त्री सहित घिनौने साक्ष्य का उत्पादन करके साइट पर काम करें. वास्तव में प्रतिवादियों-अपीलों ने पर्याप्त उत्पादन किया, रिकॉर्ड पर घिनौना और अच्छी तरह से पुख्ता सबूत लेकिन सीखा अपीलीय अदालत ने पूरी तरह से और अवैध रूप से अच्छी तरह से उलटते हुए उसी को नजरअंदाज कर दिया सीखा परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया तर्कपूर्ण निर्णय. इस दृश्य में मामला, यह अनजाने में माना जाता है कि वादी की स्थिति बेहतर नहीं थी किसी तीसरे पक्ष की तुलना में. वास्तव में, वादी न तो कोई था *locus standi,* न ही उसे फाइल करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण उपलब्ध था और वर्तमान सूट बनाए रखें. वादी को दाखिल करने से भी रोक दिया गया था अपने स्वयं के कार्य और आचरण के कारण वर्तमान सूट. चूंकि सीखा कम है अपीलीय अदालत ने सभी की अनदेखी करते हुए कानून की गंभीर त्रुटि की

मामले के ऊपर-कहा सामग्री पहलुओं, लगाए गए निर्णय और डिक्री कायम नहीं रह सकती.

(16) लगातार राजस्व प्रविष्टियां और स्वैच्छिक रिकॉर्ड सही 1976 से सूट दाखिल करने तक, अपीलकर्ता के पक्ष में बोलता है। राजस्व रिकॉर्ड के प्रथम दृष्टया पढ़ने से पता चलता है कि राम कंवर-पूर्ववर्ती-हित-हितों-प्रतिवादिगण-अपीलकर्ता सूट पर निरंतर, निर्बाध और भौतिक कब्जे में होना दिखाए गए हैं और वह भी एक Gair Marusi की क्षमता में, जो कि किसी को किराया का भुगतान किए बिना है। इसके अलावा, भले ही वादी के पक्ष में कोई भी अधिकार उत्तपन्न हुए हो, 26 वर्ष तक कुछ ना करने के कारण उसने वह भी खो दिये। इस अवधि के दौरान, अपीलकर्ता न केवल सूट भूमि के भौतिक कब्जे में बने रहे, लेकिन निर्माण भी बढ़ा दिया एक से अधिक अवसरों पर. सीखा अपीलीय अदालत के बाद से चर्चा के किसी भी प्रासंगिक पहलुओं में गहरी तल्लीन करने में विफल रहा यहाँ पर, लगाए गए निर्णय और डिक्री को पाया गया है वर्तमान में अवैध दृष्टिकोण के आधार पर और उसी को बनाए नहीं रखा जा सकता है.

(17) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया था.

(18) उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, यह न्यायालय का मत यह है कि चूंकि 6.12.2006 के फैसले को तथ्यों के साथ-साथ उपलब्ध सबूतों के विपरीत पारित किया गया है, वही कायम नहीं रह सकता। इसलिए, विवादित निर्णय और डिक्री दिनांक 6.12.2006 अपास्त किए जाते है और विद्वान ट्रायल कोर्ट के 19.4.2004 के निर्णय व डिक्री को इसके द्वारा बहाल किया जाता है।

नतीजतन, तत्काल अपील सफल होनी चाहिए और इस आदेश द्वारा स्वीकृत की जाती है, हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है। लंबित आवेदन का भी निपटारा किया।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा